पुलिस आदेश संख्या 202 / 88

विषय- सिपाही के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार का संकल्प संख्या-3/ एम 1-5020/86-का. 130 दिनांक 5.1.1987 के अनुसार सिपाही के पद पर नियुक्ति क्षेत्रीय आरक्षी उप-महानिरीक्षक के अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा की जा रही है । सभी बिन्दुओं पर विचार कर अब निर्णय लिया गया है पुलिस हस्तक नियम-661(ख) के प्रावधान के अनुसार सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों का चयन आरक्षी अधीक्षक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा ही तत्कालिक प्रभाव से किया जायगा । समिति के सदस्य का प्रावधान पुलिस हस्तक खंड (3), अनुसूची-72, मद-(5) में किया गया है, जिसके अनुसार आरक्षी अधीक्षक समिति के अध्यक्ष एवं क्षेत्र के किसी अन्य जिले के आरक्षी अधीक्षक तथा जिला कल्याण पदाधिकारी सदस्य होंगे । सरकार की नीति के अनुसार जहाँ तक संभव हो अल्प संख्यक समुदाय के एक पदाधिकारी जो [illegible] आरक्षी उपाधीक्षक स्तर के नीचे नहीं हों, सदस्य होंगे । बिहार सैन्य पुलिस में सिपाही की नियुक्ति अलग से की जाएगी जिसमें उपर्युक्त समिति के अध्यक्ष समादेष्टा होंगे ।

1. शारीरिक माप :- सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु ऊँचाई तथा छाती का माप पुलिस हस्तक खंड-1 के नियम-663(क) (1) एवं (2) तथा पुलिस आदेश संख्या-186/86 के अनुसार निम्न प्रकार रहेगा :-

	जाति	ऊँचाई	छाती (बिना फुलाये हुए)
जिला पुलिस के लिए	सामान्य जाति के लिए	165 सेन्टीमीटर	81 सेंटीमीटर
	अनुसूचित जाति/जन जाति के लिए-	160 सेन्टीमीटर	79 सेन्टीमीटर
	महिला के लिए	155 सेन्टीमीटर	----------
बिहार सैन्य पुलिस के लिए	सामान्य जाति के लिए	170 सेन्टीमीटर	84 सेन्टीमीटर
	अनुसूचित जाति/जन जाति के लिए	[illegible] सेन्टीमीटर	[illegible] सेन्टीमीटर

भारतवर्ष के निवासी [illegible] गोरखा जाति के उम्मीदवारों के लिए पुलिस हस्तक नियम-663(ख) के अनुसार कोई शारीरिक माप नहीं रखा जायगा ।

2. आयु सीमा :- सामान्य जाति के लिए आयु-सीमा 18 वर्ष से 27 वर्ष होगी । अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आयु की अधिकतम सीमा 32 वर्ष रहेगी । इसके अलावा समय-समय पर [illegible]

3. शैक्षणिक योग्यता:- सातवाँ कक्षा उत्तीर्ण (सभी के लिए)

4. शारीरिक जाँच :- पुलिस हस्तक नियम-663(ए), अनुसूची-38, मद-8 के अनुसार शारीरिक जाँच निम्न प्रकार लिया जायगा :-

(क) 1 मील की दौड़ - 6 मिनट में ।
(ख) ऊँची कूद - 4 फीट ।
(ग) लम्बी कूद - 12 फीट ।
(घ) गोला (16 पौंड) - 15 फीट ।
फेंकना

5. लिखित जाँच:- ऐसी भी संभावना पायी जाती है कि सातवाँ वर्ग पास करने का गलत प्रमाण-पत्र भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है अतः शारीरिक माप एवं शारीरिक जाँच के आधार पर चुने हुए उम्मीदवारों की सरल भाषा में कुछ वाक्य लिखवाकर समिति के द्वारा जांच कर लिया जायगा कि वास्तव में वे उम्मीदवार लिखना-पढ़ना जानते हैं अथवा नहीं । जो लिख-पढ़ सकते हैं उन्हीं को चुना जाय ।

6. जाँच की प्रक्रिया:- यह अपेक्षा की जाती है कि नियुक्ति पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि नियुक्तियों में किसी प्रकार का भेदभाव' पक्षपात या किसी अन्य प्रकार की अनियमितता नहीं हो । इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायगी :-

(क) नियुक्ति के लिए विज्ञापन करते समय रिक्तियों की आरक्षणवार संख्या, नियुक्ति की तिथि, समय और स्थान भी विज्ञापित कर दी जाय, इच्छुक उम्मीदवारों को जिला/वाहिनी मुख्यालय में बुलाया जाय और यह प्रावधान रखा जाय कि उम्मीदवार अपना आवेदन-पत्र तथा अन्य वांछित प्रमाण-पत्रों को चयन स्थल पर ही चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करें ।

(ख) पुलिस हस्तक नियम-663 (डी) के अनुसार जब चयन की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाय तो उसे बिना किसी रूकावट के लगातार पूरा कर लिया जाय । मेडिकल जांच भी इसी क्रम में उसी दिन करा लिया जाय एवं जिस दिन नियुक्ति के लिए सभी प्रकार के विहित टेस्ट पूरा कर लिया जाय, उसी दिन नियुक्ति का नतीजा भी प्रकाशित कर दिया जाय, जिससे भाग लेनेवाले उम्मीदवारों को नतीजा जानने के लिए अनावश्यक रूप से दौड़-धूप नहीं करना पड़े । जो उम्मीदवार सभी प्रकार से योग्य पाये जाएँ, उन्हें उसी दिन या उसके दूसरे दिन तक नियुक्ति-पत्र भी दे दिया जाय ।

(ग) पी० एम० रूल-663(डी) के अनुसार विज्ञापित रिक्तियों के अलावे कोई प्रतीक्षा सूची नहीं रखी जाय । पूर्व में यह शिकायत मिलती रही है कि एक लंबी प्रतीक्षा सूची तैयार की जाती है जिसमें बाद में नाजायज ढंग से गलत लोगों का नाम इसमें घुसाया जाता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि जितनी रिक्तियां हैं उतनी ही संख्या में योग्य उम्मीदवारों को चुनाजाय और किसी प्रकार की प्रतीक्षा सूची नहीं रखी जाय ।

(घ) उपलब्ध रिक्ति से अधिक संख्या में योग्य उम्मीदवार उपलब्ध हो जाने की स्थिति में वरीयता का आधार ऊँचाई रखा जाय । जिनकी ऊँचाई अधिक हो उन्हीं को चुना जाय । यदि 2 उम्मीदवारों की ऊँचाई बराबर हो और उनमें से किसी एक को चुना जाना है तो शैक्षणिक योग्यता को आधार बनायाजाय । इस प्रकार वरीयता सूची तैयार करने का पहला माप दंड ऊँचाई एवं दूसरा माप दंड शैक्षणिक योग्यता रखा जाये ।

(च) पी० एम० रूल(डी) के अनुसार आरक्षी की नियुक्ति वर्ष में सिर्फ 2 बार की जाय जिससे नये नियुक्त आरक्षियों को प्रशिक्षण के लिए आरक्षी प्रशिक्षण केन्द्र में समय पर भेजा जा सके । नियुक्ति की तिथि पुलिस मुख्यालय द्वारा ही सभी जिलों एवं वाहिनियों के लिए एक साथ निर्धारित किया जाएगा ।

7. आरक्षण:- पी० एम० रूल 664 एवं अनुसूची46 के अनुसार नियुक्ति करते समय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षण की सीमा का निश्चित रूप से पालन किया जाय । आरक्षण के संबंध में समय-समय पर बिहार सरकार के द्वारा जो आदेश निर्गत किया जाय उसका भी पालन दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित किया जाय ।

8 निर्देश :-

आरक्षी अधीक्षक/समादेष्टा की चयन समिति का अध्यक्ष बनाने का निर्णय लेने में बिहार सरकार तथा महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार ने आरक्षी अधीक्षक के पद में उच्चतम कोटि की आस्था व्यक्त की है । उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे इस विश्वास को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रयास करेंगे । आरक्षी अधीक्षक/समादेष्टा निम्नलिखित बिन्दुओं पर निश्चित रूप से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे :-

§1§ सिपाहियों की बहाली की यह प्रक्रिया स्वच्छतापूर्वक लागू की जाय ।

§2§ उम्मीदवारों के चुनाव में जाति, सम्प्रदाय या क्षेत्र विशेष के आधार पर किसी प्रकार के शिकायत का कोई जायज कारण नहीं आने पाये ।

§3§ सभी प्रत्याशी के साथ पूर्ण न्याय हो ।

§4§ बहाली की जो प्रक्रिया अपनायी जाय, उसे इस प्रकार से लागू की जाय जो देखने में न्यायपूर्ण, खुली तथा भय या पक्षपात, लगाव या पूर्वाग्रह से मुक्त प्रतीत हो ।

§5§ प्रत्याशियों का चुनाव न सिर्फ स्वच्छ एवं इमानदारीपूर्ण हो, अपितु वह देखने में भी वैसा ही प्रतीत हो ।

§6§ यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन या इसमें किसी प्रकार की शिथिलता पाये जाने पर दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध सख्त न्यायोचित कार्रवाई की जायगी ।

9 शिकायत की जाय

यह आशा की जाती है कि सभी नियुक्ति पदाधिकारी इमानदारी एवंनिष्पक्षतापूर्वक आरक्षी की नियुक्ति के संबंधों उपर्युक्त सभी कार्रवाईयों को पूरी तरह से लागू करेंगे । यदि किसी व्यथित व्यक्ति के द्वारा कोई शिकायत पत्र दिया जाता है तो क्षेत्रीय आरक्षी उप-महानिरीक्षक इसका गहराई से जाँच करेंगे और आवश्यक कार्रवाइ तत्काल सुनिश्चित करेंगे । प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक नियुक्ति के संबंध में सभी नियमों का अनुपालन कृपया दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित करेंगे ।

16/3/88

§ जे० एम० कुरेशी §
महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 925 /13-3-8-81 -/पी 2

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार ।
पटना, दिनांक 14 मार्च 1988

प्रतिलिपि--

1 मुख्य सचिव, बिहार सरकार की दिनांक 7-3-88 को राँची में आरक्षी अधीक्षकों एवं जिला पदाधिकारियों की बैठक में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में यह पुलिस आदेश कृपया सूचनार्थ ।
2 गृह सचिव, बिहार सरकार को कृपया आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
3 मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव को कृपया सूचनार्थ ।
4 सभी आरक्षी महानिरीक्षक/आरक्षी उप-महानिरीक्षक/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी समादेष्टा को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु ।
5 सभी आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक को सूचनार्थ ।
6 पुलिस गजट में प्रकाशनार्थ ।

16/3/88

§ जे० एम० कुरेशी §
महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार ।

104/159

पुलिस आदेश संख्या 201 /87

पुलिस आदेश संख्या 197/87 को आंशिक रूप से संशोधित किया जाता है । पदों के सृजन एवं प्रतिधारण संबंधी कार्य अब आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक (निरीक्षण) के स्थान पर आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक (कार्मिक) निष्पादित करेंगे ।

(17-ई-7-680)

18/11/87
(सत्यनारायण राय)
महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार
पटना ।

ज्ञापांक 3906 /स्था0, महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक कार्यालय, बिहार,
17-ई-7-6-86
पटना, दिनांक 19-11 1987

प्रतिलिपि:- 1- सभी महानिदेशक,
2- सभी प्रक्षेत्रीय महानिदेशक
3- आरक्षी महानिरीक्षक अप0 अनु0 विभाग/ विशेष शाखा/ महानिरीक्षक (कार्मिक)/ महानिरीक्षक सशस्त्रबल/ महानिरीक्षक प्रोभिजन/ महानिरीक्षक रेलवे/ महानिरीक्षक कम्प्यूटर एवं प्रशिक्षण आधुनिकीकरण / [illegible] अभियोजन / अध्यक्ष सह निदेशक पुलिस भवन निर्माण निगम, [illegible]
4- सभी क्षेत्रीय आरक्षी उप-महानिरीक्षक (रेलवे एवं सैन्य पु0 [illegible]) ।
5- आरक्षी उप-महानिरीक्षक (प्रशासन) /कार्मिक / सभी आरक्षी [illegible] रीक्षक के सहायक पुलिस मुख्यालय को सूचनार्थ एवं क्रियार्थ प्रेषित
5- सभी आरक्षी अधीक्षक / रेल सहित / समादेष्टा एस0एस0पी0 [illegible]
6- गृह सचिव, गृ0 (आ0) विभाग, को सूचनार्थ ।

18/11/87
(सत्यनारायण राय)
महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना ।

ओम्/161187
16/11